



शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)
गढ़उमरिया, ओड़िशा रोड़, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- registrarsnpv@gmail.com, वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2289/प्रशा./2022


रायगढ़ दिनांक 12.01.2022

—:: अधिसूचना ::—

शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ के द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के पालन स्वरूप अधिनियम की धारा 4 के अनुसार विश्वविद्यालय में आंतरिक परिवाद समिति (Internal Complaints Committee) का गठन किया जाता है:-

- | | |
|--|---------------------------|
| 1. डॉ. सुषमा तिवारी, प्राध्यापक
(किशोरी मोहन त्रिपाठी कन्या महाविद्यालय, रायगढ़) | - पीठासीन अधिकारी/अध्यक्ष |
| 2. डॉ. बी.पी.यादव, सहा. प्राध्यापक
(शास.पालूराम धना. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, रायगढ़) | - सदस्य |
| 3. डॉ. सोफिया अम्ब्रेला, सहा. प्राध्यापक
(शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़) | - सदस्य |
| 4. डॉ. शारदा घोघरे, सहा. प्राध्यापक
(शास. किरोड़ीमल कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, रायगढ़) | - सदस्य |
| 5. श्री प्रकाश कुमार त्रिपाठी, उप कुलसचिव
(शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़) | - सदस्य |
| 6. डॉ. ऋतु शर्मा
(मेडिको सोशियल वर्कर, शास. चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़) | - सदस्य |

यह समिति विशाखा गाईडलाइन एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिंग उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही करेगी।



कुलसचिव (प्रभारी)

पृ.क्र. 2290/प्रशा./2022

रायगढ़, दिनांक 12.01.2022

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. सर्व सम्मानीय सदस्य
.....को सहयोग हेतु सादर सूचनार्थ।
3. कार्यालय प्रतिलिपि।


प्रभारी अधिकारी (प्रशासन)